

असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—ख्ण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 229] No. 229] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 2007/वैशाख 28, 1929 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 18, 2007/VAISAKHA 28, 1929

### कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2007

सा.का.नि. 362(अ).—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-खण्ड (1) और (2) तथा नियम 7 के उप-खण्ड (ग) के अनुक्रम में, जम्मू और कश्मीर सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदुद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तृतीय संशोधन विनियमावली, 2007 है।
  - (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "9. जम्मू और कश्मीर" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

# ''9. जम्मू और कश्मीर

1. राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ ड्यूटी पद

61

| पद का नाम                             | पदों की संख्या | तैनाती की न्यूनतम कार्यावधि |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1                                     | 2              | 3                           |
| मुख्य सचिव                            | 1              | ् 2 वर्ष                    |
| अपर मुख्य सचिव                        | 3              | 2 वर्ष                      |
| वित्तीय आयुक्त                        | 1              | 2 वर्ष                      |
| अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर विशेष अधिकरण | 1              | 2 বর্ष                      |
| आयुक्त और सरकार के सचिव               | 11             | 2 वर्ष                      |
| प्रभागीय आयुक्त                       | .2             | 2 वर्ष                      |
| आवासीय आयुक्त                         | 1              | 2 वर्ष                      |
| संयुक्त वित्तीय आयुक्त (कृषि सुधार)   | 1              | 2 वर्ष                      |
| बिक्री कर आयुक्त                      | 1              | 2 वर्ष                      |

| 1  | ,    | 2.  |     | 3        |          |
|--|------|-----|-----|----------|----------|
| उत्पाद शुल्क आयुक्त  |      | 1   |     | 2 वर्ष   |          |
| पंजीयक, सहकारी समितियां  |      | 1   |     | 2 वर्ष   |          |
| पर्यटन निदेशक  |      | 1   |     | 2 वर्ष   | . •      |
| , उद्योग और वाणिज्य निदेशक   | 1421 | 1   |     | 2 वर्ष   | . P      |
| उपायुक्त   | . •  | 14  |     | 2 वर्ष   | •        |
| खाद्य और आपूर्ति निदेशक  | F    | 2   |     | 2 वर्ष   |          |
| सरकार के सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव  |      | 9   |     | े 2 वर्ष |          |
| मुख्य मंत्री के सचिव   |      | . 1 |     | 2 वर्ष   |          |
| राज्यपाल के सचिव   |      | 1   |     | 2 वर्ष   |          |
| श्रम आयुक्त  |      | 1   |     | . 2 वर्ष |          |
| बन्दोबस्त आयुक्त   |      | 1   |     | . 2 वर्ष |          |
| मुख्य निर्वाचन अधिकारी   |      | 1   |     | 2 वर्ष   |          |
| विभागीय जांच आयुक्त  | •    | 1   |     | 2 वर्ष   |          |
| अपर उपायुक्त   |      | 4   |     | 2 वर्ष   |          |
| in the second of | कुल  | 61  | -   |          |          |
| <ol> <li>केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, 4 प्रतिशत की दर से</li> </ol>  |      | 24  | -   |          |          |
| 3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, 25 प्रतिशत की दर से  |      | 15  |     |          |          |
| 4. प्रशिक्षण रिज़र्व, 3.5 प्रतिशत की दर से   |      | 2   |     |          |          |
| <ol> <li>पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त मद 1, 2, 3<br/>तथा 4 के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं</li> </ol>  |      | 51  |     |          | •        |
| <ol> <li>छुट्टी रिज़र्व और किनष्ठ पद रिज़र्व, उपर्युक्त<br/>मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से</li> </ol>   |      | 10  |     |          |          |
| 7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+6-5)   |      | 61  |     |          |          |
| सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पद   |      | 61  |     | •        | •        |
| पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पद   |      | 51  |     |          | <b>,</b> |
| कुल प्राधिकृत संख्या   | 11   | 12" | -   |          |          |
|  |      |     | *** |          |          |

[फा. सं. 11031/02/2000-अ.भा.से.-II]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएँ)

दिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 22-10-1955 की संख्या का.नि.आ. 3350 के तहत प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित तारीख और सं. सां.का.नि. के अंतर्गत संशोधित किए गए थे :-

| क्र. सं. | सा,का,नि, संख्या | दिनांक     |  |
|----------|------------------|------------|--|
| 1.       | 429(왜)           | 17-10-1974 |  |
| 2        | 97               | 8-12-1986  |  |
| 3.       | 505              | 18-8-1990  |  |
| 4.       | 333              | 4-7-1994   |  |
| 5.       | 739(अ)           | 31-12-1997 |  |

#### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

# (Department of Personnel and Training)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th May, 2007

G.S.R. 362(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in pursuance of sub-clause (1) and (2) of Rule 4 and sub-clause (c) of Rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Jammu and Kashmir, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:

- 1. (i) These regulations shall be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2007.
  - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "9. Jammu and Kashmir" and the entries occurring thereafter, the following shall be substituted, namely:—

## "9. Jammu and Kashmir

| Name of the Post  | Number of Posts | Minimum tenure of posting |
|---|-----------------|---------------------------|
| 1   | . 2             | 3                         |
| Chief Secretary   | -1              | 2 years                   |
| Additional Chief Secretary  | 3               | 2 years                   |
| Financial Commissioner  | 1               | 2 years                   |
| Chairman, Jammu and Kashmir Special Tribunal                                | 1               | 2 years                   |
| Commissioner and Secretary to Government                                    | 11              | 2 years                   |
| Divisional Commissioner   | 2 .             | 2 years                   |
| Resident Commissioner   | 1               | 2 years                   |
| Joint Financial Commissioner (Agrarian Reforms)                             | 1               | 2 years                   |
| Sales Tax Commissioner  | 1               | 2 years                   |
| Excise Commissioner   | 1               | 2 years                   |
| Registrar, Cooperative Societies  | 1               | 2 years                   |
| Director of Tourism   | 1               | 2 years                   |
| Director of Industries and Commerce   | 1               | 2 years                   |
| Deputy Commissioners  | 14              | 2 years                   |
| Director of Food and Supplies   | 2               | 2 years                   |
| Secretaries/Special Secretaries/Additional<br>Secretaries to the Government | 9               | 2 years                   |
| Secretary to Chief Minister   | 1               | 2 years                   |
| Secretary to Governor   | 1               | 2 years                   |
| Labour Commissioner   | 1 .             | 2 years                   |
| Settlement Commissioner   | 1               | 2 years                   |
| Chief Electoral Officer   | 1               | 2 years                   |
| Commissioner for Departmental Enquiries                                     | 1               | 2 years                   |
| Additional Deputy Commissioner  | . 4             | 2 years                   |
| Tot   | al 61           | ,                         |
| Central Deputation Reserve @ 4%   | 24              |                           |
| State Deputation Reserve @ 25%  | 15              |                           |
| Training Reserve @ 3.5 %  | 2               |                           |
| Posts to be filled by Promotion (not exceeding 50%                          |                 |                           |
| item 1, 2, 3 and 4 above)   |                 |                           |

| 1  | 2    | • |  |  |
|--|------|---|--|--|
| 6. Leave Reserve and Junior Posts Reserve<br>@ 16.5% of Item 1 above | 10   |   |  |  |
| 7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+6-5)   | 61   |   |  |  |
| Direct Recruitment Posts   | 61   |   |  |  |
| Promotion Posts  | 51   | ٠ |  |  |
| Total Authorised Strength  | 112" |   |  |  |

[F. No. 11031/02/2000-AIS-II]

CHAITANYA PRASAD, Director (Services)

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 3350, dated 22-10-1955 and subsequently amended vide G.S.R. numbers and dates:—

| Sl. No. | G.S.R. Nos. | Date       |
|---------|-------------|------------|
| 1.      | 429(E)      | 17-10-1974 |
| 2.      | 97`         | 8-12-1986  |
| 3.      | 505         | 18-8-1990  |
| 4       | 333         | 4-7-1994   |
| 5.      | 739(E)      | 31-12-1997 |